न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00063

श्रीमती पेमा बाई आुय 42 वर्ष देवीलाल जाति भील (अनुसूचित जनजाति) निवासी फतेहपुरा पत्नी श्री नाथूलाल जाति भील निवासी ग्राम गुढानाथवतान हाथीखेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. सांवला आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
2. देवलाल आत्मज रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मेघारावत की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी हाल गोपालपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. तहसीलदार, तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 03 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.04.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोपालपुरा तहसील बून्दी में खसरा नम्बर 207 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादिनी के गैर खातेदारी की भूमि है । उक्त भूमि पर वादिनी का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है किन्तु उसके पश्चिम साईड पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत कब्जा करके बलपूर्वक खनन कार्य प्रारम्भ कर रखा है साथ ही वादिनी की कृषि भूमि पर जबरदस्ती बलपूर्वक कब्जा करके मिट्टी खोदना प्रारम्भ कर दिया है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादिनी को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण जबरन अनाधिकृत खनन कार्य नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 के द्वारा वाद वादिनी आंशिक रूप से डिक्री किया गया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कैम्प की कोई सूचना नहीं दी । अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट पैमाबाई ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और यह कथन किया था कि वादिनी अनुसूचित जनजाति की गरीब महिला है उसके गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 207 की रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा ग्राम गोपालपुरा तहसील तालेडा में स्थित है । आराजी के पश्चिम में प्रतिवादी ने जबरन कब्जा करके खनन कार्य प्रारम्भ कर रखा है । ऐसी स्थिति में उनको स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे और वादिनी को खातेदार घोषित किया जावे । वाद को कैम्प कोर्ट गोपालपुरा में रखा गया और वादिनी का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया । तनकीयात का निर्णय विधि सम्मत रूप से नहीं किया गया । अपीलान्ट को कैम्प की सूचना नहीं दी गई बिना सुनवाई का अवसर दिये कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित किया गया है । परिपत्र दिनांक 09.05.2016 की गलत व्याख्या की गई है । अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जाना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया है । आराजी बरड क्षेत्र में स्थित है जिसमें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादिनी की स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना स्वीकार की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.05.2015 की आदेशिका के अनुसार

प्रतिवादी की ओर से अभिभाषक के द्वारा अण्डरटेकिंग पर उपस्थिति दी गई है और दिनांक 30.03.2016 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली वादी की शेष साक्ष्य में रखी गई और दिनांक 01.07.2016 को पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखी गई है । वादिनी की साक्ष्य बन्द नहीं की गई है, कैम्प कोर्ट में वादिनी उपस्थित नहीं हुई है उनकी अनुपस्थिति में बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादिनी आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है । दस्तावेजात में पीडब्ल्यू–2 के रूप में बरधा का शपथ पत्र पेश किया गया है परन्तु उनके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की गई है । लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना जो निर्णय पारित किया गया है वो त्रुटिपूर्ण है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.05.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/4/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा